In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering confirmation) consisting of:- (i) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai : Chairman (ii) Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai : Member (iii) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai : Member (iv) Gazetted Officer from State or Central Govt. : Member	Not applicable.

[No. A-12018/04/2018-EPI]

VANDANA CHAUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 21.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सहायक नर्स मिडवाइफ), भर्ती नियम 1994 को, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक नर्स मिड वाइफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सहायक नर्स मिड वाइफ) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक नर्स मिड वाइफ	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता	21 तथा 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** :- आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी| (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है|)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2, तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त राज्य नर्सिंग परिषद् से सहायक नर्स मिड वाइफ संबंधी प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त राज्य नर्सिंग परिषद् में सहायक नर्स या मिड वाइफ के रूप में पंजीकृत हो, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से महिला बहु उद्देश्य कामगार पाठ्यक्रम, या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समकक्ष तथा भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता बोर्ड से 10+2 व्यावसायिक योजना के तहत सहायक पाठ्यक्रम| **टिप्पण-1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा| **टिप्पण:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (25500-81100 रुपए) के

के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण -2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति / संपुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) अपर चिकित्सा अधिक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज – अध्यक्ष नर्सिंग अधिक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज – सदस्य उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए.11018/19/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2019

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Auxilliary Nurse Midwife) Recruitment Rules, 1994, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Auxilliary Nurse Midwife, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Auxilliary Nurse Midwife) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Auxiliary Nurse Midwife.	1* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C'Non Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix. (Rs, 25500-81100)	Not applicable	Between 21 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note .-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar

					Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i)12th Standard pass from a recognised Board; and (ii)Certificate of Auxillary Nurse Midwife from an institute recognied by State Nursing Council and must have been registered as Auxillary Nurse or Midwife with recognised State Nursing Council Or Female Multipurpose Worker Course from a recongised Institute or Board Or Auxillary course under 12th standard vocational scheme from a recognised Board as per the syllabus prescribed by the Central Board of Secondary Education or its equivalent and Indian Nursing Council. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment **Note :** Vacancy caused by the incumbents being away on deputation or long illness or Study leave or under circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State government or Union territories:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with five years regular service in the posts in Level 3 in the pay matrix (Rs 21700-69100); (b)possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion/confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman Nursing Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Member Deputy Director of Lady Hardinge Medical College-Member	Not applicable.